तारीखहुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **अभयसिंह बनाम धर्मकंवर वगैरह, मुकदमा संख्या–49/2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
13.01.2025	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा हरियाली के खसरा संख्या 746 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 1275 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1276 रकबा 0.04 हैक्टेयर, पुराना खसरा संख्या 446, 447, 448, 449, 450 को मिलाकर नवीन खेत खसरा संख्या 1277 रकबा 10.83 हैक्टेयर, पुराना खसरा संख्या 510 नवीन खेत खसरा संख्या 1596 रकबा 6.20 हैक्टेयर पुराना खसरा संख्या 487 एवं 500 से नवसृजित खसरा संख्या 1628 रकबा 5.05 हैक्टेयर, पुराना खसरा संख्या 556 से नवसृजित खसरा संख्या 1653 रकबा 3.27 हैक्टेयर, पुराना खसरा संख्या 558 से नवसृजित खसरा संख्या 1654 रकबा 7.09 हैक्टेयर पुराना खसरा संख्या 541 से नवसृजित खसरा संख्या 1692, 1700, 1701 रकबा क्रमशः 5.00 हैक्टेयर, 0.04 हैक्टेयर, 3.10 हैक्टेयर, पुराना खसरा संख्या 548 से नवसृजित खसरा संख्या 1707 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1708 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1788 रकबा 8.45 एवं पुराने खसरा संख्या 487 से नवसृजित खसरा संख्या 1485/2127 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि आई हुई है यह भूमि हमारे दादा धोंकलसिंह की पैतृक संपति की है। हमारे दादा धोंकलसिंह के पुत्र चन्दनसिंह के हम दो पुत्र में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 उदयसिंह है। चंदनसिंह की आराजी में हम दोनों भाईयों का 1/2, 1/2 हिस्सा माता धर्मकंवर को छोड़कर है तथा हम पक्षकारान् भूमि पर काश्त काबिज है 1/2 हिस्से की बिघोड़ी प्रार्थी अदा करता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मुझ प्रार्थी को नुकसान करने की नियत से वर्तमान जो राजस्व रेकर्ड खसरा संख्या 1275, 1276, 1277, 1596 रकबा क्रमशः 0.01, 0.04, 10.83, 6.20 हैक्टेयर जुमले रकबा 17.08 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी की भूमि जो मेरे खाते में 1.39 हैक्टेयर क्रय है, जिसका में प्रार्थी इन खसरा नंबरान् की भूमि में से प्राप्त करने का हकदार है किन्तु कानुन को हाथ में लेकर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 किसी अज्ञात व्यक्ति को बेचने पर आमादा है अगर ऐसा हुआ तो मुझ प्रार्थी की 1.39 हैक्टेयर भूमि जिसका मैं हकदार है, यह भी बेचान हो जायेगी। मुझे अपूरणीय क्षति होगी मुझे अप्रार्थीगण ने एलानियां धमकी दी है कि भूमि हमारे नाम है हम बेचान कर देगें। इस हेतु अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अप्रार्थीगण को नहीं रोका गया तो मेरे हिस्से की भूमि जो मेरे नाम 1.39 हैक्टेयर कम दर्ज हुई है वह भी बेचान कर देगें, जबकि वादग्रस्त आराजी का मैं रिकॉर्डेड खातेदार है तथा भूमि पर मेरा कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 भूमि आगे आगे से किसी अन्य को बेचान कर देते है तो मुझ अपूरणीय होगी, जिसका आंकलन रूपयों पैसों से किया जाना संभव नहीं होगा। इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति मुझ प्रार्थी के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:12 IST
Reason: SelfAttested

किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:- **आदेश** :-

अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा हरियाली के खेत खसरा संख्या 1275, 1276, 1277, 1596 जुमले रकबा 17.08 हैक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला जालौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:12 IST
Reason: SelfAttested